# न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

ललित कुमार पुत्र भंवर लाल जाति जाटव निवासी देवलेनियान का पुरा, हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 22 देवलेनियान का पुरा हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज.) — अपीलार्थी

**बनाम**

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) — प्रत्यर्थी

**अपील अंतर्गत धारा 22, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.03.2020 के विरुद्ध**

## निर्णय

दिनांक 07.09.2020

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी के आपराधिक प्रकरण में जेल चले जाने पर राशन वितरण में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण राशन प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन होने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 27.03.2020 को निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलांट उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 22 देवलेनियान का पुरा हिण्डौनसिटी की उचित मूल्य की दुकान का अधिकृत डीलर है। प्रार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 61 / 2002 है। अपीलाण्ट बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से वार्ड नं. 22 / जी.एस.एस. विजयनियान पुरा वार्ड नं. 12 नगर परिषद हिण्डौनसिटी के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण करता रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.11.2019 से पूर्व झूंठे आपराधिक प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.11.2019 को निलंबित कर दिया गया तथा इसके पश्चात् विभाग द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 27.03.2020 को बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया जिस निरस्ती आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की है। आदेश अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी करौली दिनांक 27.03.2020 परवर्स आरबिट्रेरी, रिकॉर्ड के विपरीत तथा विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.11.2019 को निलंबित किया गया था और विधि अनुसार निलंबन के दिनांक से 90 दिवस की अवधि में अपीलाण्ट के प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक था। अन्यथा 90 दिवस की समाप्ति पर अपीलांट के प्राधिकार पत्र का निलंबतन आदेश स्वतः ही अपास्त हो जाता है जबकि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र को निलंबन दिनांक से 92 दिवस के अन्दर निरस्त नहीं कर 04 माह के पश्चात् निरस्त किया गया है। अपीलाण्ट झूंठे एवं मिथ्या प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रार्थी को आपराधिक प्रकरण में गलत तौर से फंसाया जाना मानते हुए प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी उक्त अपील न्यायालय की जमानत पर है। प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकरण में दोष सिद्ध घोषित नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का गैरकानूनी कृत्य किया गया है। परंतु फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध गलत तौर पर आदेश दिनांक 27.03.2020 पारित किया गया है जो गलत है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलाण्ट के विरुद्ध आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई और ना ही प्रार्थी द्वारा रसद सामग्री वितरण में किसी प्रकार की हेरफेर या बेईमानी की है परंतु फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया

जिला कलक्टर
करौली

गया है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त किया गया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी अपीलाण्ट जमानत पर रिहा होने पर उसी दिन अपने डीलरशिप के दायित्व के लिये चार्ज लेने श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के कार्यालय पहुंचा तब प्रार्थी अपीलाण्ट को उक्त निर्णय आदेश दिनांक 27.03.2020 की जानकारी हुई। जानकारी होने पर प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा उसी दिन दिनांक 27.05.2020 को नकल आवेदन पेश किया और दिनांक 02.06.2020 को नकल प्राप्त हुई। तब अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 27.03.2020 की जानकारी हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 27.03.2020 से दिनांक 02.06.2020 तक समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में एवं नकल में लगे समय को मुजरा करते हुए कण्डोन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि दिनांक 26.11.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन द्वारा रिपोर्ट की गई कि अपीलार्थी राशन डीलर आपराधिक प्रकरण में जेल चला गया हैं जिस पर अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर को नोटिस जारी किये किन्तु अपीलार्थी राशन डीलर के जेल में होने के कारण वे तामील नहीं हो सके। अपीलार्थी के जेल से छूटने में अनिश्चितता थी और वर्तमान में वह जमानत पर जेल से बाहर है। न्यायालय द्वारा दोषमुक्त नहीं किया गया है। अपीलार्थी के जेल में चले जाने के कारण राशन वितरण में व्यवधान उत्पन्न हो गया था जो राशन प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन है। अतः अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो पूर्णतः विधिसम्मत है। अंत में अपील, अपीलार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर के आपराधिक प्रकरण में जेल चले जाने की प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन की रिपोर्ट दिनांक 26.11.2019 के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर को नोटिस जारी किये गये लेकिन अपीलार्थी राशन डीलर के जेल में होने के कारण नोटिस तामील नहीं हो सके। यद्यपि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किये जाने के बाद 90 दिवस की अवधि में कार्यवाही पूरी करनी चाहिये थी तथापि अपीलार्थी राशन डीलर को अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपीलार्थी राशन डीलर की जेल से छूटने की अनिश्चितता थी। अपीलार्थी के जेल में होने की वजह से राशन वितरण व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ जो राशन प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिये प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। चूंकि अपीलार्थी के विरुद्ध राशन सामग्री की अनियमितता का आरोप नहीं है एवं अपीलार्थी भी राशन सामग्री से संबंधित आपराधिक प्रकरण में जेल ना जाकर अन्य धाराओं में जेल गया है। इसलिये भविष्य में उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 22 देवलेनियान का पुरा हिण्डौनसिटी की उचित मूल्य की दुकान हेतु जारी विज्ञापन में अपीलार्थी के दोषसिद्ध होने तक अपीलार्थी के भाग लेने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली